झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
दशम् (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 02 पौष 1944 (श0) / 23 दिसम्बर 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
'क' 124	अ0सू0–24	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	आवासीय विद्यालय की स्थापना	अनु0जाति, अनु0 जनजाति,अल्पसंख्य एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	17.12.2022

नोट :– 'क' 124 अ0सू0–24, दिनांक–22.12.2022 को सदन द्वारा दिनांक–23.12.2022 के लिए स्थगित।

राँची
दिनांक–23 दिसम्बर,2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

कृ0पृ0उ0 /

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–05 / 2020–2462 / वि0स0,रांची,दिनांक–22/12/22

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेश 22/12/22

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–05 / 2020–2462 / वि0स0,रांची,दिनांक–22/12/22

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिवीय कार्यालय, झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 22/12/22

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0 वि0 स0 (प्रश्न)–05 / 2020–2462 / वि0स0,रांची,दिनांक–22/12/22

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा / वेबसाईट शाखा / ऑनलाईन शाखा / आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 22/12/22

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय /

सत्यमेव जयते

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

दशम् (शीतकालीन) सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग–4

शुक्रवार, दिनांक 02 पौष 1944 (श0) / 23 दिसम्बर 2022(ई0) को

प्रश्नों की कुल संख्या–01 (एक)

(1) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग– 01 (एक)

कुल योग– 01 (एक)।

आवासीय विद्यालय की स्थापना

'क' 124 श्री समीर कुमार मोहन्ती–क्या मंत्री,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1– क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में काफी भारी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं,

2– क्या यह बात सही है कि अबतक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु जिले में कोई विशेष प्रबंध नहीं हैं,

3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए खण्ड–01 में वर्णित जिले में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना का विचार रखती है,हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री :–

1– स्वीकारात्मक।

2– अस्वीकारात्क।

सरकारी विद्यालयों एवं स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन हेतु छात्रवृति भुगतान किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु दो छात्रावास भी संचालित है।

3– विभाग द्वारा वर्तमान में पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए चार (04) आवासीय उच्च विद्यालय राँची,हजारीबाग,दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय में संचालित है। वित्तीय वर्ष–2021–22 में पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए राँची,साहेबगं,बोकारो,सरायकेला एवं गढ़वा में एक–एक आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूर्वी सिंहभूम जिला में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

क "124" दिनांक–22.12.2022 को सदन द्वारा दिनांक–23.12.2022 के लिए स्थगित।

राँची,

दिनांक–23 दिसम्बर,2022 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
दशम् (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 02 पौष, 1944 (श0) / 23 दिसम्बर, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभाग को भेजी गई सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02	03	04	05	06
151.	अ0सू0–07	डॉ0 सरफराज अहमद	उच्चस्तरीय जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई।	वाणिज्यकर	16.12.22
152.	अ0सू0–17	श्री दीपक बिरूवा	नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.12.22
153.	अ0सू0–24	श्री राजेश कच्छप	भूमि का Compensation देना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	18.12.22
154.	अ0सू0–08	श्री मनीष जायसवाल	चिकित्सकों की नियुक्ति करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.12.22
155.	अ0सू0–16	श्री सरयू राय	मालिकाना हक देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.12.22
156.	अ0सू0–14	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	फैकल्टी की नियुक्ति करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.12.22
157.	अ0सू0–13	श्री प्रदीप यादव	दोषियों पर कार्रवाई	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.12.22

01	02	03	04	05	06
158.	अ0सू0-18	श्री दीपक बिरुवा	ट्रामा सेन्टर स्थापित करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.12.22
159.	अ0सू0-22	श्री निरल पुरती	चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	18.12.22
160.	अ0सू0-09	श्री अमर कुमार बाउरी	प्रमाण पत्रों को बनवाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
161.	अ0सू0-11	श्री राजेश कच्छप	दोषियों को दण्डित करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.12.22
162.	अ0सू0-19	श्री भानु प्रताप शाही	रजिस्टर-2 को ऑनलाईन करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.12.22
163.	अ0सू0-20	श्री राज सिन्हा	जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	18.12.22
164.	अ0सू0-06	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	नियोक्ता कम्पनी पर कार्रवाई	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	16.12.22
165.	अ0सू0-01	श्री विनोद कुमार सिंह	मानदेय एवं सुरक्षा बीमा देना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.12.22
166.	अ0सू0-03	डॉ0 लम्बोदर महतो	नियोजन देना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.12.22
167.	अ0सू0-02	श्री विनोद कुमार सिंह	चिकित्सक का क्षमता विस्तार	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.12.22
168.	अ0सू0-12	श्री प्रदीप यादव	दण्डात्मक कार्रवाई करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.12.22
169.	अ0सू0-05	सुश्री अम्बा प्रसाद	कानून बनाना।	विधि	13.12.22
170.	अ0सू0-23	श्री निरल पुरती	संस्था का सृजन करना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कोशल विकास	18.12.22

क्र0पृ0उ0/-

01	02	03	04	05	06
171.	अ0सू0-15	श्री सरयू राय	दोषियों पर कार्रवाई करना।	उत्पाद एवं मद्य निषेध	17.12.22
172.	अ0सू0-21	श्री संजीव सरदार	विस्थापितों को आवासित करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	18.12.22
173.	अ0सू0-04	श्री रामचन्द्र सिंह	शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.12.22
174.	अ0सू0-10	श्री अमित कुमार यादव	नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करना।	विधि	16.12.22

राँची
दिनांक-23 दिसम्बर,2022 (ई0)

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-2422/वि0स0, राँची, दिनांक-20/12/22

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
20/12/2022

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-2422/वि0स0, राँची, दिनांक-20/12/22

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
20/12/2022

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-2422/वि0स0, राँची, दिनांक-20/12/22

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
20/12/2022

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

20.12.22

श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0 स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झा0मू0व0क0 अधिनियम, 2005 अतिरिक्त निर्धारित कर के भुगतान में विलंब होने पर विलंब की तिथि से जबतक विलंब हो प्रतिमाह 2% प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट छूटों कटौतियों तथा कोई अन्य छूट/रियायतों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि कोडरमा एवं सिंहभूम वाणिज्य–कर अंचलों में कर निर्धारण पदाधिकारी ने छः व्यापारियों के वर्ष 2013–14 के मामलों में छूट, रियायत या इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत समायोजन के 95.01 करोड़ रूपये के दावों को अस्वीकृत किया गया परन्तु कर निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा अस्वीकृत दावों पर 10.45 करोड़ रूपये के दण्डात्मक ब्याज नहीं लगाया गया जिससे राजस्व की क्षति हुई;	स्वीकारात्मक। अतिरिक्त निर्धारित कर के भुगतान नही होने की स्थिति में ब्याज अधिरोपित करने का प्रावधान है। महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा कोडरमा एवं सिंहभूम वाणिज्य–कर अंचलों के क्रमशः 03 एवं 03 अर्थात् कुल 06 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों के जाँचोपरान्त अनुशंसा किया गया है कि उक्त व्यवसायियों के कर निर्धारण में ब्याज का अधिरोपण नहीं किया गया है, जिसके अनुपालन में पुर्नकर निर्धारण आदेश पारित कर संबंधित अभिलेखों में ब्याज का अधिरोपण किया गया है। इनमें से 01 मामले में 3.18 करोड़ रूपये की वसूली हुई है और एक मामला NCLT, Chennai में लंबित है। कतिपय मामले विभिन्न अपीलीय/रिविजनल न्यायालयों में लंबित हैं। एक मामले में रिमाण्ड के पश्चात् संशोधित मांग पत्र के अनुसार वसूली की गयी है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वाणिज्य–कर विभाग द्वारा उपर्युक्त मामलों के विस्तृत जाँच हेतु हजारीबाग प्रमण्डल एवं जमशेदपुर प्रमण्डल के उच्चाधिकारियों की टीम को गठित कर विस्तृत जाँच हेतु निदेश गया है और प्रतिवेदन की प्राप्ति के उपरांत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक–वा0 कर/वि.मं./16/2022 2676 /राँची, दिनांक– 20/12/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उत्तर की 200 प्रतियाँ उनके ज्ञाप संख्या 2300 दिनांक 16.12.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.22

(अखिलेश शर्मा)
राज्य–कर अपर आयुक्त।

152

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल में 10 से 16 उम्र तक के 73043 बच्चे किसी न किसी नशे के शिकार है;	कोल्हान प्रमण्डल के विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसा नशे से प्रभावित बच्चों के संबंध में सम्प्रति कोई सूचना संकलि नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नशे के कारण प्रमण्डल में हत्या, लुट, डकैती, छिनतई व बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे है, इसकी पुष्टि पुलिस प्रशासन द्वारा घटना के अवलोकन मे पाया ;	ऐसी कोई सूचना विभाग को प्राप्त नही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रमण्डल में नशा के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाकर नशे में गिरफ्त बच्चों को जागरूक करते हुए जिला में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	i. कोल्हान प्रमण्डल के विभिन्न जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप होने की स्थिति में नशा के विरूद्ध जागरूकता अभिया संचालित किया जाएगा तथा नशा मुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवा की जाएगी। ii. रिनपास, काँके, राँची एवं केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्था काँके, राँची में नशा मुक्ति केन्द्र संचालित है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0–16/औषधि(अ0सू0)–06–04/2022 306(16) राँची, दिनांक– 22.12.22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2372 वि0स0, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Chandan 22/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

(153)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–24 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बड़कागढ़ स्टैट जो 1857 की क्रांति की महान प्रतिक है का आज तक BLRA-1950 की धारा–3(B) एवं जमींदारी अन्मुलन अधिनियम 1956 के तहत् VESTED नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, राँची का पत्रांक–532 (i)/रा0, दिनांक – 20.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राँची जिला में इस प्रकार के मामले प्रकाश में नहीं आया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित VESTED हेतु LEGAL PROCEESING नहीं होने से आज भी बड़कागढ़ स्टैट KHEWAT-2 में संसीमित सभी प्रकार की भूमि व संपतियों पर बड़कागढ़ स्टैट की वंशजों/उत्तराधिकारियों का स्वामित्व यथावत् है ;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, राँची का पत्रांक–532 (i)/रा0, दिनांक – 20.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राँची जिला में इस प्रकार के मामले प्रकाश में नहीं आया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित स्टैट की बकास्त मालिक, जिरात मालिक, मझीयस मालिक एवं सिकमी भूमि को बंशजों/उत्तराधिकारियों को वापस करने तथा अन्य भूमि का COMPENSATION देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0– (अ0सू0)–392/2022 4572/रा0, दिनांक– 22-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2399/वि0स0, दिनांक–18.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या कुल स्वीकृत पद की तुलना में आधी से भी कम है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 06 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल संचालित है, जिसमें एम0बी0बी0एस0 की कुल 680 सीटें है, जहाँ लोगो का ईलाज भी होता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। NMC, New Delhi के द्वारा दी गयी स्वीकृति के आलोक में वर्त्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 में राज्य के कुल 06 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एम0बी0बी0एस0 की कुल 630 सीटों पर नामांकन की कार्रवाई की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में संचालित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अबतक ई0एन0टी0/मेडिसीन/शल्य एवं आर्थो विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में चिकित्सकों की भारी कमी है साथ ही उक्त अस्पताल में न्यूरो एवं सर्जन चिकित्सकों का पद रिक्त रहने के कारण दुर्घटना के शिकार मरीजों को बेहतर ईलाज हेतु रिम्स रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण उक्त जिले में दुर्घटना के कई गम्भीर मरीजों की मृत्यु रिम्स आने के क्रम में हो जाती है ;	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग के विभिन्न विभागों में कुल स्वीकृत बल 187 पदों के विरूद्ध वर्त्तमान में कार्यरत बल की संख्या 128 है। प्रासंगिक कॉलेज एवं अस्पताल में वर्त्तमान में न्यूरो सर्जन का कोई पद स्वीकृत नहीं है, फलस्वरूप इससे संबंधित गम्भीर मरीजों को उचित ईलाज हेतु रेफर किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–03 में वर्णित अस्पताल सहित राज्य के सभी उक्त अस्पतालों में प्राथमिकता के तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति तथा सभी रिक्त पदों पर चिकित्सकों के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु 126 रिक्त पदों की अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को भेजी गयी है। नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से अनुशंसा प्राप्त होने पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों की कमी दूर करने हेतु संविदा के आधार पर सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदों पर सेवाएँ प्राप्त की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0–09/विधायी–06–17/2022 – 643(9) राँची, दिनांक– 22/12/22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2301 वि0स0, दिनांक 16.12.2022 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22

सरकार के अवर सचिव

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या.16 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि सरकारी भूमि अथवा लोक उपक्रमों की भूमि पर अनेक वर्षों से बसे हुए परिवारों को उस भूमि पर प्रतिकुल कब्जा को मान्यता देते हुए मालिकाना हक देने के बदले झारखण्ड सरकार ने मात्र 10 डिसमिल जमीन उन्हें लीज पर देने का निर्णय किया है, जिसे कब्जाधारियों ने स्वीकार नहीं किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जमशेदपुर अंचल अंतर्गत सरकारी भूमि पर अनेक वर्षों से बसे हुए परिवारों को 10 डि0 जमीन लीज पर देने से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :– कुल प्राप्त आवेदन –184, लीज हेतु राशि जमा करने वाले आवेदकों की संख्या–13 स्वीकृत आवेदन –3 शेष प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि क्षितिज चन्द्र बोस बनाम आयुक्त, राँची के मुकदमे में दिनांक– 06.02.1981 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकुल कब्जा को मान्यता दिया है (संदर्भ 1981 Air 707, 1981 SCR [2] 764) मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाईज का रजिस्ट्रेशन निबंधन एवं शर्त्ते) अधिनियम– 1998 के अनुसार इन्दौर नगर निगम ने पत्रांक– 712/का0/सेल0/ 10 दिनांक–11.06.2016 द्वारा वहाँ की बृज विहार नामक अवैध कॉलोनी को नियमित किया है;	न्यायालीय आदेश पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमशेदपुर एवं अन्य स्थानों पर सरकारी एवं लोक उपक्रमों की भूमि पर आवासितों को मालिकाना अधिकार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	सरकारी भूमि पर अवैध दखलकारों के साथ अधिकतम 10 डिसमिल तक आवासीय उद्देश्य हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–817/रा., दिनांक–22.02.2018 के द्वारा प्रावधान किया गया है एवं विभागीय पत्रांक– 4064/रा., दिनांक–25.10.2019 के द्वारा उक्त लीज बंदोबस्ती की शक्ति संबंधित उपायुक्त को प्रत्यायोजित है। वर्त्तमान में इस तरह का कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 04/वि0स0(अल्प–सूचित)–98/2022 4560 (6)/रा. राँची, दिनांक–21-12-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2367, दिनांक–17.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दौ सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री (प्रभारी), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

सरकार के अवर सचिव

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में संचालित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में विषयवार फैकल्टी की नियुक्ति आवश्यकतानुसार नहीं हो पाई है ;	राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में वर्ष 2019 में सहायक प्राध्यापक के 166 पदों पर एवं 2020 में सहायक प्राध्यापक के 58 पदों पर नियुक्ति की गयी है। तत्पश्चात् सहायक प्राध्यापक के 126 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को भेजी गयी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 से अबतक 47 प्राध्यापक एवं 22 सह–प्राध्यापकों की संविदा पर सेवा प्राप्त करने हेतु अधिसूचना निर्गत है।
2.	क्या यह बात सही है कि मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू में माईक्रोबायोलॉजी एवं फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के फैकल्टी नहीं होने के बावजूद इन विषयों की पढ़ाई एवं परीक्षा किस प्रकार सम्पन्न कराई गई ;	माईक्रोबायोलॉजी विभाग में तत्समय उपलब्ध फैकल्टी के आलोक में पढ़ाई एवं परीक्षा सम्पन्न हुई है। वर्त्तमान में फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में परीक्षा नहीं हुई है।
3.	क्या यह बात सही है कि पिछले तीन सालों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु वैकेंसी नहीं निकाली गई ;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 126 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को भेजी गयी है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के विज्ञापन सं0–06/2022 के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पड़ोसी राज्य बिहार के तर्ज पर स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्ति के लिए अलग से आयोग गठन करके, झारखण्ड राज्य में संचालित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में विषयवार फैकल्टी की नियुक्ति कराकर कमी को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्चतर पदों पर फैकल्टी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2021 गठित है। उक्त नियमावली के आलोक में राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के के रिक्त पदों पर संविदा पर सेवाएँ प्राप्त की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0–09/विधायी–06–18/2022 – 644(S) राँची, दिनांक– 22/12/22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2371 वि0स0, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22

सरकार के अवर सचिव

157

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–13का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में धड़ल्ले से सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा किये बिना ही फार्मेसी, नर्सिंग एवं पारा मेडिकल संस्थानों में नामांकन एवं पढ़ाई जारी है;	अस्वीकारात्मक। 1. नर्सिंग संस्थानों में नामांकन, पाठ्यक्रम का संचालन हेतु भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली सर्वोच्च निकाय है। भारतीय उपचर्या परिषद् के मापदण्डों के अनुसार झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् द्वारा संस्थानों की जाँच की जाती है एवं जाँचोपरांत विभाग द्वारा नर्सिंग संस्थान प्रारंभ करने हेतु अनुमति दी जाती है। तदोपरांत संबंधित नर्सिंग संस्थान को नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन एवं नामांकन की अनुमति दी जाती है। 2. फार्मेसी पाठ्यक्रम का संचालन फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा–10 (Education Regulations) के अंतर्गत की जाती है, जिसका सर्वोच्च निकाय फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली है। फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण के उपरांत ही फार्मेसी शिक्षण संस्थानों को फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा–12 के तहत फार्मेसी पाठ्यक्रम में नामांकन की मान्यता प्रदान की जाती है। विभागीय संकल्प सं0–162(6) दिनांक 15.10.2022 द्वारा राज्य में डी0 फार्मा0 पाठ्यकम के संचालन हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत है। 3. राज्यान्तर्गत पारामेडिकल संस्थानों की मान्यता अनापत्ति पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति विभागीय अधिसूचना संख्या 356(7ए) दिनांक 15.09.2010 द्वारा गठित "झारखण्ड पारामेडिकल/पारा डेन्टलनिबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारा मेडिकल काउन्सिल नियमावली, 2010" में निर्धारित प्रावधानों के तहत झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद द्वारा किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकारी स्तर पर मोनिटरिंग, निबंधन एवं नामांकन करने वाले राज्य के शीर्ष पदाधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाडा का खेल वर्षों से फल–फूल रहा है;	अस्वीकारात्मक। 1. प्रत्येक वर्ष निश्चित समय अंतराल पर भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद द्वारा राज्यान्तर्गत सभी नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है एवं संस्थानो की मान्यता का नवीकरण, निबंधन एवं नामांकन की अनुमति दी जाती है। राज्यान्तर्गत सभी नर्सिंग संस्थानो के नियंत्रण, नामांकन एवं परीक्षा संचालन हेतु "झारखण्ड राज्यान्तर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2022" के गठन की कार्रवाई प्रकियाधीन है। 2. फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा समयानुसार फार्मेसी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात

		अगले सत्र के लिए मान्यता प्रदान की जाती है तथा फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 13 के तहत फार्मेसी पाठ्यक्रम में नामांकन की मान्यता रद्द की जाती है। फार्मासिस्टों के निबंधन की प्रक्रिया झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउन्सिल द्वारा ऑनलाईन माध्यम से की जाती है। प्राप्त आवेदन को सत्यापन के लिए संबंधित फार्मेसी संस्थान में भेजा जाता है। वहाँ से जवाब आने के पश्चात् ही ऑनलाईन निबंधन किया जाता है। राज्यान्तर्गत सभी फार्मेसी संस्थानो के नियंत्रण, नामांकन एवं परीक्षा संचालन हेतु "झारखण्ड राज्यान्तर्गत फार्मेसी शिक्षण संस्थान हेतु नामांकन प्रक्रिया एवं प्रबंधन नियमावली, 2022" के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विभागीय आदेश ज्ञापांक 86(6) दिनांक 20.12.2021 द्वारा सभी फार्मेसी शिक्षण संस्थानों की जॉच हेतु कमिटि का गठन किया गया है। समय–समय पर उक्त कमिटि द्वारा फार्मेसी शिक्षण संस्थानो की जॉच की जाती रही है। 3. झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद द्वारा समय–समय पर शासी परिषद के माध्यम से मापदंडों में परिवर्तन किया जाता हैं एवं संस्थानों की जॉच की जाती है। अबतक कुल पॉच संस्थानों की मान्यता परिषद द्वारा समाप्त की गई है। वर्तमान में राज्यान्तर्गत पारामेडिकल संस्थानों के नियंत्रण, पाठ्यक्रम संचालन, नामांकन के संबंध में भारत सरकार के अधिनियम National Commission for Allied and Health Care professional Act, 2021 के आधार पर Jharkhand State Allied and Health Care Rules, 2022 के गठन की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब SITका गठन कर उपरोक्त सभी संस्थानों का जाँच कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहींतो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0–.06/फर्मेसी (अ0सू0)–1–02/2022 – 210(6) राँची, दिनांक– 22/12/22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2370 वि0स0, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Chandan 22/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री दीपक बिरूवा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 –अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर हर 10 से 15 कि0मी0 के अंतराल में आपात एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान है।	अस्वीकारात्मक। Capacity Bulding for developing Trauma Care Facilities on National Highways, operational Guidelines Government of India के अनुसार हाईवे पर हर 50 कि0मी0 पर Basic Life Support Ambulance की व्यवस्था करने का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि रांची जैतगढ़ 210 कि0मी0 नेशनल हाईवे 75/ई में ना ही एंबुलेंस की व्यवस्था है , न कोई स्पेशल ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया है,	अस्वीकारात्मक। सम्प्रति स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा M/s Ziqitza Healthcare Ltd. के माध्यम से संचालित 108 एम्बुलेंस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को Golden Hour में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य से 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रांची–जैंतगढ़ 210 कि0मी0 हाईवे पर सम्प्रति 19(उन्नीस) 108 एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की जा रही है। ये एम्बुलेंस क्रमशः रांची, सरायकेला एवं प0 सिंहभूम में अवस्थित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में तैनात हैं। प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत निम्न 05 स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर की स्थापना एवं संचालन प्रस्तावित है : 1. सदर अस्पताल, चाईबासा 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुर 3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगन्नाथपुर 4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोईलकेरा 5. अनुमण्डलीय अस्पताल, चक्रधरपुर उपर्युक्त स्थानों में से सदर अस्पताल, चाईबासा में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सड़क सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित कि0मी0 पर स्पेशल ट्रामा सेंटर स्थापित करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा प्रश्न–17/2022/175 राँची, दिनांक–22.12.2022

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक– प्र0 2373 वि0 स0 दिनांक–17.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
सरकार के संयुक्त सचिव

(159)

श्री निरल पुरती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–22 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में लगभग 4345 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय कार्यरत है;	विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीणों के लिए सभी कार्यों हेतु पंचायत सचिवालय तक पहुँच सबसे आसान है और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में 267 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त NHM अन्तर्गत 2055 हेल्थ सेन्टर भी क्रियाशील है। उक्त सेन्टर प्रखण्डों में भी अवस्थित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुदूरवर्ती ग्रामीणों के लिए पंचायत सचिवालय स्तर पर आयुष से संबंधित चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में चिकित्सा सुविधा संबंधी स्थिति उल्लेखित कर दी गई है। साथ ही साथ सुदूरवर्ती ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष से संबंधित चिकित्सा सुविधा देने हेतु स्वास्थ्य विभाग प्रयत्नशील है। इसी के क्रम में आयुष स्वास्थ्य मेला लगाकर आयुष चिकित्सा सुविधा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है तथा आयुष चिकित्सा पद्धति से ईलाज भी की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–20/आयुष वि0स0–19/2022 318 (20) स्वा/राँची, दिनांक 22.12.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2396/वि0स0 दिनांक–18.12.2022 के प्रसंग में 120 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.2022

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में म्युटेशन का काम लंबित है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** दाखिल–खारिज/नामांतरण की प्रक्रिया कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–11086, दिनांक–29.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के तहत् निरंतर कार्य है। **दाखिल–खारिज सेवा के लिए नियत–समय सीमा की विवरणी इस प्रकार है :–**

Services	Designatd Officer	Time limit	Ist Appellate Authority	Time limit for Disposal of 1st Appeal	2nd Appellate Authority	Time limit fo disposal of 2nd Appeal
दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन – आपत्ति रहित वाद	अंचल अधिकारी	30 days	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	30 days	समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता	30 days
दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन –वाद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।	अंचल अधिकारी	90 days	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	30 days	समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता	30 days
दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन – अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचल अधिकारी	03 days	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	30 days	समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता	30 days

झारखण्ड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आवहन पर राजस्व उप निरीक्षकों (कर्मचारियों) का दिनांक–16.09.2022 से लेकर दिनांक–07.11.2022 तक हड़ताल होने के कारण दाखिल–खारिज की प्रक्रिया धीमी हो गयी थी, किन्तु अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा कार्यो का निष्पादन किया जा रहा था।

2	क्या यह बात सही है कि राज्य में आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं हो रही है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आवहन पर राजस्व उप निरीक्षकों (कर्मचारियों) का दिनांक–16.09.2022 से लेकर दिनांक–07.11.2022 तक हड़ताल होने के कारण आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया धीमी हो गयी थी, किन्तु अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा कार्यो का निष्पादन किया जा रहा था।

3	क्या यह बात सही है कि राज्य में आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र एवं म्युटेशन का काम लंबित होने के कारण राज्य के युवाओं को नौकरी करने एवं किसी संस्थान में आरक्षण का लाभ लेने में एवं जमीन कार्य जुड़े लोगों को काफी परेशानी हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में लंबित म्युटेशन का कार्य पूर्ण करवाने, युवाओं के भविष्य को देखते हुए आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र बनवाने का कार्य प्रारम्भ कराने का इरादा रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 एवं 02 पर तथ्य स्पष्ट कर दी गयी है। वर्त्तमान में लंबित म्युटेशन का कार्य,आय, आवासीय एवं जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कार्य निरंतर जारी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0– (अ0सू0)–390/2022 4541 /रा0, दिनांक– 21-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2302/वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–11 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि वरीय प्रधान लिपिकों के 19 कर्मी एक ही शाखा में महत्वपूर्ण कार्यालयों में/शाखा में स्वीकृत पद से ज्यादा पदों में पिछले 7–15 वर्षों से कार्यरत् हैं जो बड़े भ्रष्टाचार की ओर इंगित करती है तथा Against the Board of Mislenious Rule 1998 है	स्वीकारात्मक। राँची समाहरणालय में लिपिक संवर्ग के अनुभवी एवं वरीयतम लिपिक के लगातार सेवानिवृत्ति के कारण उत्कृष्ट एवं वृहत अनुभवी लिपिकों की वृहत कमी परिलक्षित है। लोकहित एवं कार्यहित में वृहत अनुभवी एवं उत्कृष्ट लिपिकों की सेवा जिला मुख्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं एवं सदर अनुमंडल में ली जा रही है। दिनांक–12.09.2022 को जिला स्थापना समिति की बैठक आहूत कर उक्त लिपिकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन का निर्णय लिया गया है। समिति के उक्त निर्णय पर प्रमण्डलीय आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त करने के क्रम में निदेशित किया गया है कि बड़ी संख्या में स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्ष के माह जून–जुलाई में ही किये जाएं। उक्त निदेश का अनुपालन आगामी माह जून–जुलाई 2023 में किया जाएगा।
2	क्या यह बात सही है कि लिपिक के संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण होने के पश्चात् कुछ ही माह/दिनों में पुनः उसी कार्यालय/शाखा में पदस्थापन हो जाता है जो व्यापक भ्रष्टाचार एवं Service Rule की अव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसा कदम है तथा LRDC सदर राँची Office में वर्ष 2008 से एक प्रधान सहायक लगातार जमी हुई है एवं एक ही कार्य 46 Permission को अंजाम दे रही है जो गंभीर विषय है;	दिनांक–19.01.2021 एवं दिनांक–03.07.2021 को आहुत जिला स्थापना समिति की बैठक में अनुसचिवीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिये बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 181(2) में निहित प्रावधानों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर आदेश ज्ञापांक–83(ii)/स्था0, दिनांक–21.01.2021 द्वारा कुल 131 लिपिक एवं आदेश ज्ञापांक–834(ii)/स्था0, दिनांक–05.07.2021 द्वारा कुल 13 लिपिकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किया गया था। उक्त स्थानान्तरित लिपिकों में से कतिपय अस्वस्थ महिला लिपिक एवं कार्य अनुभवी लिपिकों का उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं संबंधित कार्यालय प्रधानों के अनुरोध पर जिला मुख्यालय/सदर अनुमंडल में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है एवं कार्यहित में उनकी सेवा ली जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों/अंचलों के कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पदों में पदस्थापन की कार्रवाई करने तथा दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं0–1519, दिनांक–08.12.2017 में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में निदेशित किया गया है कि झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के नियम–22 के उप नियम–3 से 5 में संशोधन करते हुए स्थानांतरण एवं पदस्थापन वर्ष में केवल एक बार किये जा सकेंगे जो की वर्ष के दौरान

क्र0	प्रश्न		उत्तर
			साधारणतया माह जून–जुलाई में किये जायेंगे। मंत्रिमंडलीय उक्त परिपत्र के आलोक में आगामी माह जून–जुलाई में जिला स्थापना समिति की बैठक आहुत कर स्थानांतरण के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–3/अ0क्षे0स्था0(वि0स0तारा0)–128/2022 4557 (3)/रा0 राँची, दिनांक–21-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2366/वि0स0, दिनांक–17.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

सरकार के उप सचिव।

(162)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला सहित पूरे झारखण्ड प्रदेश में हाल सर्वे में रजिस्टर2 में त्रुटि पायी गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। हाल सर्वे अन्तर्गत प्रकाशित खतियान ऑनलाईन किया गया है। खतियान में दर्ज विवरणी के आधार पर ही रजिस्टर–2 बनाया गया है। पंजी–II में त्रुटि संज्ञान में आने के पश्चात् उपलब्ध राजस्व दस्तावेज एवं स्थानीय जाँचोपरांत त्रुटि निराकरण की कार्रवाई की जाती है। पंजी–II में सुधार का विकल्प झारभूमि पोर्टल अंतर्गत उपलब्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि रजिस्टर–2 ऑनलाईन नहीं होने के चलते कई रैयतों के खेतिहर जमीन को जंगल–झाड़ में दर्शाया गया है, जिससे ग्रामीण अपने जमीन को न तो बिक्री कर पा रहे है न ही किसी तरह का निर्माण कार्य कर पा रहे है;	अस्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रजिस्टर–2 को ऑनलाईन करते हुए सभी त्रुटियों को ठीक करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे0 अभि0, वि0स0 (अ0सू0)–81/2022- 779/G.II राँची, दिनांक– 22-12-2022

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2368/वि0स0, दिनांक–17.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-12-22
सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Prem Sir/QA (Aman)

श्री राज सिन्हा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री राज सिन्हा, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में नामकुम अंचल राँची के बडगांवा मौजा में चाय बागान की 100 एकड़ से अधिक गैरमजरूआ जमीन की भू–माफियाओं ने अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर दी है, और उस पर आवास बना लिये गये हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बडगावां मौजा में खाता संख्या–221 के प्लॉट संख्या–09, खाता संख्या–124 के प्लॉट संख्या–10 खाता सं.–215 के प्लॉट संख्या–121, 122, 125, 117, 145, 300, 311, 313 से संबंधित मूल रिकार्ड राँची जिला प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है,	अस्वीकारात्मक। नामकुम अंचल अंतर्गत मौजा–बरगावां, थाना–राँची, थाना सं.–16 का खतियान जिला अभिलेखागार, राँची में उपलब्ध है। प्रश्न में उल्लेखित खाता एवं प्लॉट का आर.एस. खतियान जिला अभिलेखागार, राँची में उपलब्ध है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त मौजा में अवैध तरीके से की गई गैरमजरूआ जमीन की खरीद बिक्री होने के अलावे चिन्हित जमीन पर बने किसी भी मकान का नक्शा पास नहीं है, और ना ही किसी प्लॉट का म्यूटेशन कराया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। म्यूटेशन नहीं किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में राँची जिला प्रशासन के दोषी अफसरों के खिलाफ विशेष जाँच कराकर अनुशासनात्मक कारवाई किये जाने और जरूरी कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	जाँचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/वि.स.(अ.सू.)–97/2022.....4592.....(4)/रा., राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं. प्र.–2400/वि.स. राँची, दिनांक–18.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को एक–एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22

सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–06 की उत्तर सामग्रीः–

164

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है, उक्त नियमावली में 30 (तीस) दिनों के अंदर हर नियोक्ता को निबंधन कराने एवं तीन माह के अन्दर निर्धारित पोर्टल पर 40 हजार रूपये या इससे अधिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने का प्रावधान किया गया है,	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022, दिनांक–12 सितम्बर, 2022 को राज्य में अधिसूचित की गई है, जिसकी कंडिका 3 (ii) के अनुसार झारखण्ड राज्य के परिसीमा में अवस्थित प्रत्येक नियोक्ता अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तीन महीने के अन्दर 40,000/–(चालीस हजार) से अनधिक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का अभिहित पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि तीन माह बीतने के बावजूद अबतक किसी भी नियोक्ता द्वारा निबंधन नहीं कराया गया है, जिसके कारण स्थानीय उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमावली के अनुरूप लाभ नहीं मिल पा रहा है,	**अस्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 के तहत् राज्यान्तर्गत विभिन्न नियोजनालयों द्वारा 404 नियोक्ताओं का निबंधन किया गया है। नियमावली की कंडिका 04 (ii) के अनुसार नियोक्ता के अधीन विद्यमान मानव बल, नियोजित स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या के सभी विवरणों को प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिनियम के अनुसार यदि मानव बल में कमी हो, तो प्राधिकृत अधिकारी को नियम के प्रारम्भ की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर संलग्न प्रपत्र–II के विहित प्रपत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थानीय नियोजन के मापदण्ड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्ययोजना जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्षो से अधिक न हो, की समय सीमा के साथ प्रस्तुत करेगा। अधिनियम के प्रावधानों को लागू किये जाने एवं ऑनलाईन कार्य निष्पादन हेतु Designated Portal के निर्माण के लिए जैप– आईटी के साथ एकरारनामा किया जा चुका है, शीघ्र ही पोर्टल का निर्माण एवं उसके पश्चात् स्वतः सारी प्रक्रियाएँ सूचारू एवं पारदर्शी हो जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या अबतक पंजीयन नहीं कराने वाले नियोक्ता कम्पनी पर कार्रवाई करना चाहती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पंजीयन किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

1959
22/12/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2022-23\05-84-2022 -E.docx

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–84 / 2022श्र0नि0– 1959 राँची, दिनांक– 22/12/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक–2299, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/22

सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0 सू0–01 का उतर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उतर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में 42 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य सहिया कार्यरत हैं, जिसे मात्र 2 हजार रूपया प्रति माह प्रोत्साहन राशि मिलती है;	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सहियाओं को सामुदायिक गतिविधियों के लिए 2000/– रू0 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के साथ साथ 21 विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों के उत्प्रेरण एवं सहयोग हेतु कार्याधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि कोविड आपदा और अन्य संकट के समय सबसे प्राथमिक इकाई के रूप में कार्यरत होने के बावजूद इनकी कोई सुरक्षा बीमा नहीं है;	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सहियाओं को सामुदायिक गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)/ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY) का प्रावधान है जिसके तहत परिवार के आश्रितों को 2.00 लाख रू0 (दो लाख रू0) तक आर्थिक सहायता दी जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन्हें कार्य के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के आधार मासिक मानदेय और सुरक्षा बीमा देने का विचार रखती है, हॉं, तो कब तक, नही तो क्यों?	विषयान्तर्गत वर्त्तमान में भारत सरकार स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक सं0 : 21/वि0स0–06–27/2022 256 (21) राँची दिनांकः– 22/12/2022.
प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2174/वि0 स0 दिनांक 13.12.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22
सरकार के उप सचिव।

(166)

श्री लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–03 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार के द्वारा निजी संस्थानों में 40 हजार रूपये तक के वेतन व मजदूरी वाले पदों पर कार्य करने वाले लोगों को 75% का आरक्षण हेतु अधिनियम पारित किया गया है;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त अधिनियम का पालन करते हुए नियोजन नहीं दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 दिनांक– 12 सितम्बर 2022 को राज्य में अधिसूचित की गई है, जिसकी कंड़िका 3 (i) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता अभिहित पोर्टल पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के 30 (तीस) दिनों के अंदर स्वयं को निबंधित करेगा, तथा कंडिका 3 (ii) के अनुसार झारखण्ड राज्य के परिसीमा में अवस्थित प्रत्येक नियोक्ता अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के तीन महीने के अंदर 40,000/– (चालीस हजार) से अनधिक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का अभिहित पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करेगा। साथ ही कंडिका 4 (ii) के अनुसार नियोक्ता के अधीन विद्यमान मानव बल, नियोजित स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या के सभी विवरणों को प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिनियम के अनुसार यदि मानव बल में कमी हो, तो प्राधिकृत अधिकारी को नियम के प्रारंभ की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर संलग्न प्रपत्र II के विहित प्रपत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थानीय नियोजन के मापदंड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्ययोजना जो इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्षो से अधिक न हो, की समय सीमा के साथ प्रस्तुत करेगा। उक्त अधिनियम/नियमावली के अनुपालन हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमिटी का गठन किया गया, साथ ही सभी नियोजनालयों को निदेश दिया गया गया है कि अपने क्षेत्राधीन सभी नियोजक जो अधिनियम के दायरे में आते है, का निबंधन संबंधित नियोजनालय में कराये, तत्पश्चात् सभी निबंधित संस्थान के द्वारा झारखण्ड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का निजी क्षेत्र में नियोजन अधिनियम, 2022 के अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के प्रावधानों को लागू किये जाने एवं ऑनलाईन कार्य निष्पादन हेतु Designated Portal के निर्माण के लिए जैप–आईटी के साथ एकरारनामा किया जा चुका है, शीघ्र ही पोर्टल का निर्माण एवं उसके पश्चात् स्वतः सारी प्रक्रियाएँ सूचारू एवं पारदर्शी हो जाएगी।

1961
22/12/2022

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अधिनियम को कड़ाई से पालन करते हुए झारखण्ड के निजी फैक्ट्रीयों/कारखानों में स्थानीय युवकों को 75% नियोजन देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त अधिनियम/नियमावली का अनुपालन सम्पूर्ण राज्य में कराने की कार्रवाई की जा रही है।

22/12/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–05–81/2022श्र०नि०–1961 राँची, दिनांक–22/12/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2172, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/2022

सरकार के अवर सचिव।

(167)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-23.12.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-02 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि रिम्स राँची के न्यूरोलॉजी/न्यूरोसर्जरी विभाग में पूरे राज्य से ब्रेन हेमरेज, हेड इंज्यूरी के मरीज आते है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त विभाग में मरीजों की संख्या का दबाव ज्यादा है जिससे न सभी मरीजों को बेड मिल पाता है, न ही समय पर उपचार हो पाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रिम्स के न्यूरोलॉजी/न्यूरोर्जरी विभाग में राज्य ही नही निकटवर्ती राज्यों के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के मरीज भी आते है, विभाग में उपलब्ध बेड से मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण मरीजों के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव स्थानीय व्यवस्था करते हुए इलाज करना पड़ता है। रिम्स प्रशासन द्वारा इन्हें यथा संभव समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रिम्स में न्यूरोलॉजी विभाग में ब्रेन हेमरेज, हेड इंज्यूरी के मरीजों के बेहतर व शीध्र उपचार हेतु बेड, संसाधन, चिकित्सक का क्षमता मात्रा विस्तार का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिम्स के न्यूरोलॉजी/न्यूरोसर्जरी विभाग में बढ्ती हुई मरीजों के संख्या को देखते हुए गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा निर्धारित मानको एवं मापदण्डों के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु संस्थान परिसर में ही 989 बेडेड नये सुपरस्पेशयलिटि भवन का निर्माण जिसके अंतर्गत मुख्यतः न्यूरोसाईन्सस सेन्टर में न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी के मरीजों का उच्च स्तरीय ईलाज किया जा सकेगा, इसके निमित आगामी शासी परिषद की बैठक में विचारार्थ रखने हेतु एजेण्डा प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-11/रिम्स(वि0स0)-05-07/2022...356 (11) दिनांकः- 21/12/2022

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके ज्ञापांक-2173 वि0स0 दिनांक-13.12.2022 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची सहित सभी जिलों में सैकड़ों फर्जी डेन्टल एवं मेडिकल क्लीनिक बिना योग्य चिकित्सकों के और बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित है, का मामला प्रकाश में आया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला के सिविल सर्जनों ने अब तक फर्जी क्लीनिकों के विरूद्ध कोई ठोस दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की है ;	अस्वीकारात्मक। फर्जी क्लीनिकों के विरूद्ध मामला प्रकाश में आने पर संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा Clinical Establishment Act, 2010 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। Clinical Establishment Act, 2010 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन द्वारा फर्जी क्लीनिकों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। (राज्य के सिविल सर्जनों से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न)
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब SIT गठन कर उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0–06 / क्ली0एस्टाब्लीशमेंट(अ0सू0)–01–03 / 2022 – 209(6) राँची, दिनांक– 22/12/22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2369 वि0स0, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Chandan 22/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय सदस्या, झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को सदन में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

169

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मामलों के निष्पादन हेतु विशेष न्यायालय की शुरुआत की गई है;	:–	**स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय हाईकोर्ट में दर्ज अपील भारी संख्या में लंबित है, कारणवश सुनवाई के अभाव में जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक जीवन समाप्ति के कगार पर पहुँच जाता है;	:–	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक–365/R&S, दिनांक–21.12.2022 द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन), जिला न्यायाधीश के सत्र एवं अपीलीय न्यायालय तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित वादों की संख्या निम्नवत् है:–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	लंबित वादों की सं०
1.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय	148
2.	जिला न्यायाधीश का सत्र एवं अपीलीय न्यायालय	45
3.	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची	38

3.	क्या यह बात सही है कि सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज अपील पर ससमय एवं विशेष सुनवाई होने से जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक जीवन सुरक्षित हो सकता है;	:–	अनिश्चयात्मक। प्रत्येक मामले के अभियोजन की प्रकृति एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर निर्भर करेगा ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज अपील पर विशेष अपील न्यायालय के माध्यम से अथवा वर्तमान अपील प्रक्रिया के तहत् मामलों के निष्पादन में तेजी लाने हेतु कानून बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	विधि विभागीय अधिसूचना सं०–1899, दिनांक–27.09.2020 एवं अधिसूचना सं०–105, दिनांक–25.01.2021 द्वारा पहले से ही झारखण्ड राज्य में चुने गये सांसदों/विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला न्यायाधीश कोटि के 01–01 एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोटि के 01–01 विशेष न्यायालय का गठन किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	न्यायमंडल जहाँ विशेष न्यायालय का गठन किया गया	क्षेत्राधिकार
1.	राँची	राँची, खूँटी, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा।
2.	धनबाद	धनबाद, गिरिडीह एवं बोकारो।
3.	हजारीबाग	हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा।
4.	दुमका	दुमका, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा एवं गोड्डा।
5.	डाल्टेनगंज	डाल्टनगंज (पलामू), गढ़वा, लातेहार।
6.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावाँ।

इसके अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोटि के न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश/आदेश के विरुद्ध संबंधित जिला न्यायमंडल में इस हेतु जिला न्यायाधीश कोटि के न्यायालय को अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ पहले से ही प्रदान की जा चुकी है।

22/12/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।
(कृ०पृ०उ०)

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक– ए०/विधि– वि०स०–37/2022–2562/जे0, राँची, दिनांक– 22 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2170, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

22/12/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

(170)

1963
22/12/2022

श्री निरल पूरती, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–23 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री निरल पूरती, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में असंगठित मजदूरों की संख्या लगभग 90 लाख से ज्यादा निबंधित है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य में असंगठित मजदूर स्वतंत्र रूप से कार्य की तलाश करते है,	स्वीकारात्मक। आम तौर पर असंगठित मजदूर काम की तलाश करते ही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार असंगठित मजदूरों को निजी क्षेत्रों में भुगतान आधारित कार्य हेतु सेवा प्रदायी योजना जैसी संस्था का सृजन करना चाहती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सम्प्रति श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन इस प्रकार की कोई योजना के लागू किये जाने का प्रस्ताव विधाराधीन नहीं है।

22/12/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–86/2022श्र0नि0–1963 राँची, दिनांक– 22/12/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2397, दिनांक–18.12.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/2022

सरकार के अवर सचिव।

D:\S\new folder(file)\R\Vidhan Sabha 2022-23\05-86-22 lc.docx

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता– श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता–श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि नई झारखण्ड उत्पाद नीति–2022 में चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 2300 करोड़ रूपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य है, 13 नवम्बर, 2022 तक 1600 करोड़ रूपये राजस्व संग्रह लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1084 करोड़ रूपये का ही राजस्व संग्रह हुआ है;	– उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। विगत वर्ष 2021–22 के माह नवम्बर, 2021 तक राजस्व संग्रहण कुल रू0 1013.63 करोड़ रूपये था, जो चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 के माह नवम्बर, 2022 (दिनांक–28.11.2022 तक) 1083.73 करोड़ रूपये था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 के तहत माह नवम्बर, 2022 तक का कुल राजस्व संग्रहण रू0 1103.15 करोड़ रूपये है। इस प्रकार कुल राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से गत वर्ष की तुलना में 8.83% की वृद्धि परिलक्षित होती है। पूर्व वित्तीय वर्ष–2021–22 के माह नवम्बर, 2021 तक के लिए कुल–1576.32 करोड़ रू0 राजस्व लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 1013.63 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई थी, जो निर्धारित लक्ष्य का 64.30% है। चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 के माह नवम्बर, 2022 तक के लिए 1600 करोड़ रूपये का राजस्व लक्ष्य का निर्धारण किया गया है जिसके विरूद्ध माह नवम्बर, 2022 तक कुल–1103.15 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 68.94% है। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व प्राप्ति में 4.64% की वृद्धि परिलक्षित होती है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है।
2	क्या यह बात सही है कि थोक विक्रेता और मानव बल आपूर्तिकर्त्ता की सांठ–गांठ से पड़ोसी राज्यों से सस्ता शराब मंगाकर झारखण्ड में मंहगी दर पर बिक्री करने का समानान्तर तंत्र चलाना राजस्व संग्रह में कमी का मुख्य कारण है;	– उत्तर अस्वीकारात्मक है। उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य में JSBCL के खुदरा उत्पाद दुकानों में बिकने वाली लगभग 78% शराब राज्य के विनिर्माणशालाओं में निर्मित की जाती है। मदिरा के अवैध/चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर नियमित छापामारी/गश्ती इत्यादी का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष–2021–22 के माह नवम्बर तक कुल–4916 उत्पाद अभियोग दर्ज किया गया था एवं 194 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत भेजा गया था जबकि वित्तीय वर्ष–2022–23 के माह नवम्बर तक कुल–4168 उत्पाद अभियोग दर्ज किया गया है एवं 440 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत भेजा गया है। गिरिडीह जिला में अवैध मदिरा से लदे 2 ट्रक पकड़े गये हैं एवं जमशेदपुर/राँची/चतरा जिलों में अवैध मदिरा का निर्माण करने वाले mini factories के उपर भी अभियोग दर्ज करते हुये इसे ध्वस्त किया गया है। अवैध कार्यों में संलिप्त बोकारो जिला की अनुज्ञप्ति प्राप्त एक बॉटलिंग

		इकाई की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है तथा राँची जिला की एक बॉटलिंग अनुज्ञप्ति अभी सीलबंद है। अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी बॉटलिंग ईकाईयों डिस्टीलरी/ब्रीवरी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी में Mass Flow Meter, Radar Level Transmitter एवं Track & Trace से संबंधित उपकरण स्थापित होकर क्रियाशील है। सभी निर्माणशाला एवं संचयन गोदामों पर CCTV स्थापित है एवं मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से इस पर निगरानी की जा रही है। मदिरा विनिर्माणशाला/संचयन गोदाम एवं सभी खुदरा उत्पाद दुकानों पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिये CCTV, Boom Barrier, GPS Tracking device एवं Integrated, IT Management/Monitoring के लिए JSBCL स्तर से निविदा प्रकाशित की जा चुकी है एवं इसे शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। दुकानों के निरीक्षण के क्रम में पाई गई गंभीर अनियमितताओं/MRP से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री एवं मदिरा में पानी मिलाना आदि हेतु विक्रेताओं को जेल भी भेजा गया है। माह अक्टूबर एवं नवम्बर में न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की प्राप्ति नहीं करने के कारण Manpower Agencies पर 30.92 करोड़ रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है। मांग के अनुरूप मदिरा उपलब्ध नहीं कराने के कारण थोक विक्रेताओं के उपर भी अर्थ दण्ड लगाया गया है। मदिरा आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से JSBCL को भी थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की जा रही है। खुदरा उत्पाद दुकानों में छः माह से अधिक अबिक्रीत स्कंध पर MRP की दर से थोक विक्रेता एवं Manpower Agencies के उपर अर्थ दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। Defaulter Manpower Agencies को Blacklist कर नये Manpower Agencies को क्रियाशील करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। अवैध मदिरा व्यापार के विरूद्ध प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को निदेशित किया गया है। पुलिस स्तर से बेहतर सहयोग प्राप्त करने के लिये अवैध उत्पाद वस्तुओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये पुलिस विभाग से D.I.G से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को Nodal Officer नियुक्त करने का अनुरोध पुलिस महानिदेशक से किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग वैसे सभी कृत्य जो राजस्व संग्रहण के प्रतिरोधक है पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु कृतसंकल्पित एवं प्रयासरत है।
3	क्या यह बात सही है कि नई उत्पाद नीति–2022 का निर्धारण करते समय राजस्व पर्षद की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, जिस कारण	– उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड मदिरा का भण्डारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022, झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं

	थोक विक्रेता और मानव बल आपूर्तिकर्ता पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया, जिस कारण राजस्व संग्रह में कमी हुई;	क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022, झारखण्ड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) (संशोधन) नियमावली, 2022, झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 दिनांक–01.05.2022 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत है। इन नियमावलियों के गठन के क्रम में सचिकायें दो बार राजस्व पर्षद् के पास प्रेषित की गई थी। सदस्य, राजस्व पर्षद के अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया गया है तथा कतिपय सुझावों का समुचित उत्तर विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था। सदस्य, राजस्व पर्षद् की प्रत्येक आपत्तियों एवं एतद् संबंधी विभागीय उत्तर से मंत्री परिषद को अवगत कराते हुये नियमानुसार नई उत्पाद नीति 2022 को राजस्वहित में लागू किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी पदाधिकारियों सहित थोक विक्रेता एवं मानव बल आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	– उत्तर अस्वीकारात्मक है। निर्धारित शर्त्तों/नियमों में लापरवाही/चूक बरतने के कारण मानवबल आपूर्तिकर्त्ता कम्पनियों एवं थोक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–04/विधायी–04–39/2022– 3000 राँची, दिनांक– 22/12/2022

प्रतिलिपि :–सरकार के अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–2365 दिनांक–17.12.2022 के आलोक में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

तिर्की 22.12.2022
(फ्लोरेंस तिर्की)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री संजीव सरदार, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री संजीव सरदार, माननीय स0वि0स0	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पोटका प्रखण्ड के पंचायत–भाटिन के चाट्टीकोचा ग्राम के लगभग 1000 लोग युसिल परियोजना के कारण विस्थापित है,	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पोटका प्रखण्ड के पंचायत–भाटिन के चाट्टीकोचा ग्राम के लगभग 68 परिवार युसिल परियोजना के कारण विस्थापित है।
2	क्या यह बात सही है वर्णित खण्ड–01 के 1000 लोगों के विस्थापन कर धोबिन ग्राम में सारी सुविधाओं के साथ आवासित करना था लेकिन अभी तक नहीं की गई है,	आंशिक स्वीकारात्मक। सर्वसम्मति से पूर्व में चिन्हित ग्राम–धोबनी के स्थान पर मौजा–भाटिन में सरकारी भूमि का चयन किया गया है।
3	यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पोटका प्रखण्ड के पंचायत–भाटिन के चाट्टीकोचा ग्राम के विस्थापित लोगों को आवासित करना चाहती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि मौजा–भाटिन, टोला–चाटीकोचा में वर्ष 1996–97 में यू.सी.आई.एल. द्वारा तृतीय चरण अन्तर्गत टेलिंग पोंड निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसके पश्चात कुल 46 परिवारों के पुर्नवास हेतु मौजा–धोबनी में प्रत्येक परिवार को 12–12 डिसमिल जमीन गृह निर्माण हेतु भूमि बन्दोबस्त किया गया। मौजा–भाटिन, टोला–चाटीकोचा के विस्थापितों को मौजा–धोबनी में पुर्नवास्थित किये जाने का ग्राम–धोबनी के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भारी विरोध किया जाता रहा है तथा विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण उन्हें वहां पुर्नवासित नहीं किया जा सका। मौजा–धोबनी में पुनर्वास हेतु कई दौर की त्रिपक्षीय वार्ता हुई, परन्तु समझौता नहीं हो सका। उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक–10.12.2022 को मौजा–भाटिन, टोला–चाटीकोचा के ग्रामीणों/विस्थापितों की उपस्थिति में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में मौजा–भाटिन, खाता नं0–365, प्लॉट नं0–102, रकबा–24.38 एकड़ में से रकवा–15 एकड़ भूमि पर पुर्नवासित होने की सहमति प्रदान की गयी है।

P.T.O

D/Sec1/Naina Mam/VQ(Asif)

		उक्त के आलोक में मौजा–भाटिन में नव चिन्हित भूमि के समतलीकरण एवं विकास कार्य करने की सहमति यू.सी.आई.एल. प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है। आवासीय, जाहेरस्थान, सार्वजनिक तालाब, खेल मैदान, सामुदायिक भवन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को विकसित कर विस्थापितों के पुर्नवासन की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–02बी0 / भू0अ0नि0, (वि0स0) अ0सू0–66 / 2022...943/ राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2398 / वि0स0, दिनांक–18.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22

सरकार के अवर सचिव।

D/Sec1/Naina Mam/VQ(Asif)

1956
21/12/202

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–04 का उत्तर सामग्री।

(173)

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू प्रमंडल अंतर्गत कई प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र अभी तक नहीं खोला गया है, जिससे छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु अपने प्रखंड मुख्यालय से बाहर जाकर अन्य सरकारी एवं प्राईवेट संस्थानों पर आश्रित होना पड़ता है;	**आंशिक स्वीकारात्मक ।** पलामू प्रमण्डल में 13 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 22 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है।
2	क्या यह बात सही है, कि पलामू प्रमण्डल जहाँ ITI खोला गया है वहाँ पठन–पाठन की व्यवस्था अत्यंत ही लचर है तथा कई केन्द्रों पर पढ़ाई ही नहीं हो रही है;	**आंशिक स्वीकारात्मक ।** प्रशिक्षण अधिकारियों की कमी के कारण पठन–पाठन की समुचित व्यवस्था में कठिनाई हो रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू प्रमण्डल के सभी प्रखण्डों में ITI खोलने एवं जहाँ खोला जा चुका है, उस केन्द्रों में सभी संकायों की शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू प्रमंडल के सभी प्रखंडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार स्तर पर सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। पलामू प्रमंडल अंतर्गत कुल 13 सरकारी आई0टी0आई0 क्रमशः ITI डाल्टेनगंज/ITI हुसैनाबाद (पलामू) / ITI छत्तरपुर (पलामू)/ ITI सतबरवा (पलामू)/ ITI विश्रामपुर (पलामू)/महिला ITI लातेहार/ ITI महुआटॉड (लातेहार)/ ITI चन्दवा (लातेहार)/ ITI बरवाडीहह (लातेहार)/ ITI गढ़वा/ ITI झागड़ाटॉड (गढ़वा)/ ITI भंडरिया (गढ़वा)/ ITI चिनिया (गढ़वा) संचालित है। उपर्युक्त के अलावे पलामू प्रमंडल में कुल 22 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित है। राज्य सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 737 प्रशिक्षण अधिकारियों एवं 144 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। जिसका विज्ञापन संख्या क्रमशः–17/2022, 18/2022 दिनांक–29.09.2022 एवं 07/2022 है।

21/12/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–82/2022श्र0नि0–1956 राँची, दिनांक–21/12/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2171, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/2022

सरकार के अवर सचिव।

D:\S\new folder(file)\R\Vidhan Sabha 2022-23\05-82-2022 Tा॰ सू॰-4.docx

(174)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य, झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को सदन में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजक (अनु० जाति एवं अनु० जनजाति) के पद पर नियुक्ति हेतु सभी जिलों के उपायुक्त से अधिवक्ताओं की पैनल सूची की अनुशंसा मांगी गयी थी, परंतु नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पायी है;	:–	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** कुल 07 जिलों यथा– धनबाद, गुमला, लातेहार, गोड्डा, बोकारो, कोडरमा एवं देवघर में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जा चुकी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बताएगी कि अब तक कितने जिलों में विशेष लोक अभियोजक (अनु० जाति एवं अनु० जनजाति) की नियुक्ति की गई है;	:–	कंडिका–1 से स्वतः स्पष्ट है।
3.	साथ ही शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराने का विचार रखती है। यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	:–	अन्य शेष जिलों में भी नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ह०/–
(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक– ए०/विधि– वि०स०–39/2022–2512/जे0, राँची, दिनांक– 18 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2303, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

18/12/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।